

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/लि0ग्रे0प्र0/17/406

दिनांक:- 20/6/17

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/का0अ0/2017/362 दिनांक 9.6.17 के द्वारा लिपिक ग्रेड-प्रथम पद की वर्ष 2010-11 से 2015-16 की विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक आयोजित किए जाने हेतु राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर निम्नलिखित लिपिक ग्रेड द्वितीय को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध लिपिक ग्रेड-प्रथम पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एतद द्वारा चयन कर पदोन्नत किया जाता है।

क्र० स०	नाम कर्मचारी	संवर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ष
1	श्री पुखाराम	अ0जा0	3.5.60	2010-11
2	श्री सुगनचन्द शर्मा	सामान्य	10.6.66	2011-12
3	श्री राजेश कुमार रामचंदानी	सामान्य	2.7.73	2012-13
4	श्री ओमप्रकाश शर्मा	सामान्य	1.6.69	2012-13
5	श्री उगमाराम	अ0जा0	1.8.65	2012-13
6	श्री राजमल हरिजन	सामान्य	10.12.68	2013-14
7	श्री मुकेश शर्मा	सामान्य	25.1.70	2013-14
8	श्री योगेन्द्र कुमार पुरोहित	सामान्य	2.6.77	2013-14
9	श्री कुन्दन सिंह	सामान्य	18.11.70	2013-14
10	श्री अनिल कुमार	सामान्य	20.7.78	2013-14
11	श्रीमती अर्चना नानावती	सामान्य	5.10.64	2013-14
12	श्री नारायण दान	सामान्य	1.1.61	2013-14
13	श्री रमेशचन्द भील	अ0ज0जा0	21.5.77	2013-14
14	श्री मुकेश मीणा	अ0ज0जा0	12.2.80	2013-14
15	श्री अशोक कुमार	अ0ज0जा0	15.8.89	2013-14
16	श्री सूर्यप्रकाश	सामान्य	13.11.62	2014-15
17	श्री हेमन्त कुमार शर्मा	सामान्य	15.7.76	2014-15
18	श्री भरत सिंह नेगी	सामान्य	15.2.58	2014-15
19	श्री सुरेन्द्र सिंह	सामान्य	5.4.64	2014-15
20	श्री राकेश कुमार माथुर	सामान्य	28.1.72	2014-15
21	श्री हनुगान सैनी	सामान्य	15.7.67	2015-16
22	श्री प्रेमचन्द जाटव	अ0जा0	3.10.78	2015-16
23	श्री पारितोष कुमार पणदा	अ0ज0जा0	3.6.91	2015-16

पदोन्नत कर्मचारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे । तत्पश्चात पदोन्नति पर अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे ।

(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज० जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/लि०ग्रे०प्र०/17/ 406

दिनांक:- 30/6/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- संबंधित अधिकारीगण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
- 2- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि चयन सूची विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करावे।
- 3- संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज० जयपुर